



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275735
CG-DL-E-25082026-275735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 692]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 692]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 758(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (छ) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (रेल परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाले क्रियाकलाप हेतु शास्तियां) नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (रेल परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाले क्रियाकलाप हेतु शास्तियां) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (रेल परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाले क्रियाकलाप हेतु शास्तियां) नियम, 2012 के, नियम 4 में “उसे जुमाने से दंडित किया जाएगा जो पांच सौ रुपए से अनधिक नहीं होगा” शब्दों के स्थान पर “वह एक हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा, और शास्ति का संदाय न किए जाने की स्थिति में, ऐसा न करने में असफल रहने वाले व्यक्ति को

अधिकारिता प्राप्त सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जो जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा, जो कि दो हजार रुपए तक का हो सकेगा।” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं.2010/टीजी-IV/16/एसएएन/14/फाइन]

शिवेंद्र शुक्ला, कार्यपालक निदेशक, यात्री विपणन

टिप्पण : मूल नियम, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 846(अ) तारीख 26 नवंबर, 2012 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

G. S. R. 758(E).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 60 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Indian Railways (Penalties for activities affecting cleanliness at railway premises) Rules, 2012, namely:-

1. **Short title and Commencement.** - (1) These rules may be called the Indian Railways (Penalties for activities affecting cleanliness at railway premises) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Penalties for activities affecting cleanliness at railway premises) Rules, 2012, in rule 4, for the words “punished with a fine which shall not exceed five hundred rupees”, the words “liable to penalty of one thousand rupees, and in the event of non-payment of the penalty, the person so failing shall be produced before a competent court having jurisdiction which may impose a fine which may extend to two thousand rupees” shall be substituted.

[F. No. 2010/TG-IV/16/San/14/Fine]

SHIVENDRA SHUKLA, Executive Director, Passenger Marketing

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 846(E) dated the 26th November, 2012.